# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जयपुर

ठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार मूंड R.A.S.
जस्व वाद संख्या : 12/2018 दायर तारीख : 30.01.2018

1. हीरालाल पुत्र कानाराम
2. मंगला पुत्र कानाराम
3. गोरधन पुत्र कानाराम
4. रामेश्वर पुत्र कानाराम
5. सोहनलाल पुत्र पांच्या
6. लालाराम पुत्र पांच्या

समस्त जाति कुम्हार नि0 ढाणी नागान तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

--- वादीगण/अप्रार्थीगण

बनाम

1. उर्मिला अग्रवाल पत्नि गोविन्द अग्रवाल
2. गोविन्द अग्रवाल पुत्र श्रीनारायण अग्रवाल
3. कान्तादेवी पत्नि भागचन्द जाति जैन ठोलिया
4. रमेशचन्द्र जैन पुत्र कजोड़ीमल जैन

समस्त जाति जैन नि0 जोबनेर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

5. हनुमानप्रसाद पुत्र देवीलाल
6. गोपाललाल पुत्र देवीलाल
7. सीताराम पुत्र देवीलाल
8. तेजप्रकाश पुत्र हनुमानप्रसाद

समस्त जाति कुमावत नि0 नागा की ढाणी जोबनेर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

9. हीरालाल पुत्र तेजाराम जाति जाट नि0 कालख तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
10. भागचन्द पुत्र फूलचन्द जाति जैन बडजात्या नि0 गुजराती मौहल्ला जोबनेर तह0 फुलेरा जिला जयपुर
11. सोहनलाल पुत्र फूलचन्द जाति जैन बडजात्या नि0 गुजराती मौहल्ला जोबनेर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
12. श्रीमती सुमित्रा जैन पत्नि महेशकुमार जाति जैन नि0 तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
13. राजेन्द्र पारीक पुत्र हीरालाल जाति ब्राहमण नि0 जोबनेर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
14. देवीलाल पुत्र हेमाराम कुमावत नि0 ढाणी नागान जोबनेर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
15. तहसीलदार फुलेरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर

--- प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

**दावा बाबत इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा**
**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.**

उपस्थित :- श्री त्रिलोकचन्द डांगरा अधिवक्ता वादीगण/अप्रार्थीगण
श्री श्रवण जाखड़ अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थीगण सं. 1 व 2
श्री लक्ष्मणसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थीगण सं. 3,4,10 लगा0 12
श्री शिवराजसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थीगण सं. 5 लगा0 7
श्री हनुमान जाखड़ अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थीगण सं. 8 लगा0 13

**निर्णय प्रार्थना पत्र**

निर्णय दिनांक :- 19/6/2019

19/6/19
उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

1. इस आदेश के माध्यम से हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का निर्णय किया जा रहा है।

2. प्रतिवादी सं० 10 लगा० 13 ने प्रा०पत्र आर्डर 7 नियम 1 जा०दी० पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं० 10 लगा० 13 की आबादी भूमि कालवाड़ रोड हाथी नागान में स्थित है। श्रीमती सुमित्रा जैन पत्नि महेन्द्र जैन का 1612.50 वर्गगज भूखण्ड है जो कि पेराफेरी क्षेत्र जोबनेर में स्थित है का पट्टा परिवादीया द्वारा बनाकर दिनांक 29.06.02 को सब रजिस्ट्रार सांभर के यहा पंजीयन करवा लिया है। सुमित्रा का उक्त भूखण्ड पूर्व पश्चिम 165 फीट तथा उत्तर दक्षिण 82.6 फुट है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1612.50 वर्गगज है। जिसके पूर्व में भागचन्द पुत्र फूलचन्द (प्रतिवादी सं० 10) का आबादी भूखण्ड है तथा पश्चिम में प्रतिवादी सं० 11 सोहनलाल पुत्र फूलचन्द का भूखण्ड है जो कि उत्तर में कालवाड़ जयपुर रोड पर है। दक्षिण में नागाजी की कृषि भूमि है। प्रतिवादी सोहनलाल जैन का भूखण्ड भी 1612.50 वर्गगज है जो कालवाड़ जयपुर रोड पेराफेरी नगरपालिका क्षेत्र जोबनेर में स्थित है। जो आबादी का भूखण्ड है। जो नगरपालिका जोबनेर द्वारा पट्टा जारी कर दिनांक 20.03.02 को सब रजिस्टार सांभर के यहा पंजीयन करवाया है। उक्त भूखण्ड की नाप पूर्व पश्चिम 165 है तथा उत्तर दक्षिण 82.6 फुट है। कुल क्षेत्रफल 1612.50 वर्गगज है। उक्त भूखण्ड के पूर्व में प्रतिवादी सुमित्रा का आबादी भूखण्ड है। पश्चिम में रास्ता है। उत्तर में जयपुर कालवाड़ रोड है तथा दक्षिण में नागाजी की कृषि भूमि है आबादी का भूखण्ड है जिसके चारों ओर पुख्ता डंडा बनाया हुआ है। इसी अनुसार प्रतिवादी राजेन्द्र कुमार पारीक, भागचन्द जैन की आबादी भूखण्ड भी जयपुर कालवाड़ रोड़ पर स्थित है। जो नगरपालिका जोबनेर पेराफेरी क्षेत्र में आते है। इन्होंने भी अपने भूखण्ड के चारों ओर पुख्ता डंडा बना रखा है नगरपालिका जोबनेर द्वारा आबादी का पट्टा जारी करके उप पंजीयक सांभर के पंजीयन करवाया हुआ है। उक्त प्रतिवादीगण के आबादी भूखण्ड है जो पिछले 15 साल से आबादी के रूप में इनका उपयोग उपभोग किया जा रहा है। मान्य न्यायालय को आबादी भूमि के सम्बन्ध में सुनवायी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त वाद मान्य न्यायालय में चलने योग्य नहीं है इसलिए वाद खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी सं० 10 लगा० 13 को नगरपालिका जोबनेर द्वारा आज के 15 साल पहलें भू परिवर्तन करके पट्टें जारी कर दिये है। उक्त भूखण्ड कृषि भूमि के रूप में नहीं है पूर्णतया आबादी में है। वादी ने क्षेत्राधिकार के बाहर वाद दायर किया है। आबादी भूमि के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय को सुनवायी का कोई अधिकार नहीं है इसलिए वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

3. अप्रार्थीगण/वादीगण का जवाब रहा कि अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रा०पत्र के सभी मदों को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब के अतिरिक्त कथनों में अंकित किया वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद पेश किया है कि आराजी ख०नं० 588 रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा में टुकड़ें होने के बाद राजस्व रिकोर्ड में आराजी ख०नं० 2920/1/3, 2922/1, 2922/4, 2922/5 किता 4 कुल रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा ग्राम जोबनेर तह० फुलेरा जिला जयपुर राज० का भूमि एकीकरण विभाग द्वारा ख०नं० 588 रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा डाला गया उक्त नं० के दो टुकड़े होकर खातेदारी वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट नियमानुसार राजस्व रिकोर्ड में अन्य खसरा नम्बरान के साथ अंकित की गयी आराजी ख०नं० 588/1 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा काना पुत्र श्योजी हि० 1/2, पांच्या, जयनारायण पुत्र रूपा हिस्सा 1/2, ख०नं० 588/2 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा मु० बालादेवी धर्मपत्नि देवीलाल कुमावत सा०देह०। वरवक्त एकीकरण ख०नं० 588 का रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा था इसी अनुसार सम्पूर्ण रकबें का राजस्व रेकार्ड में नक्शा बना हुआ था उक्त ख०नं० 588 का बंटवारा होकर ख०नं० 588/1, 588/2 डाले गये उस रकबे अनुसार नक्शें में तरमीम नहीं की गयी ओर आज भी राजस्व रिकोर्ड नक्शा लट्ठा में ख०नं० 588 रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा अनुसार ही

(5)

19/1

उप खण्ड
सांभर

Scanned by CamScanner

कायम है। उपरोक्त बंटवारे का आजतक राजस्व नक्शें में तरमीम नहीं किया गया उपरोक्तानुसार संवत् 2049–2052 तक खातेदारी चलती रही। इसी दौरान खं0नं0 588 में से जोबनेर से कालवाड़ रोड़ निकाली गयी उक्त रोड़ में कितनी जमीन गयी, किस हिस्सें में गयी उसका भी कोई कोई रिकोर्ड में इन्द्राज नही है। खातेदार बीलादेवी द्वारा खं0नं0 588/2 रकबा 5 बीघा 18 विस्वा में से प्रतिवादी सं0 10 लगा0 12 को आराजीयात का बेचान विभिन्न रकबें का किया गया जिसका नामान्तकरण सं0 130 दिनांक 23.03.96 को भरा गया जो दिनांक 25.03.96 को पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया जिसके विक्रय की गयी आराजी के खं0नं0 588/2/1, 588/2/2, 588/2/3, 588/2/44, 588/2/5 डाले गये एवं प्रतिवादी सं0 13 राजेन्द्र को आराजी का बेचान किया गया जिसका नामान्तकरण सं0 131 दिनांक 11.04.96 को भरा जाकर खं0नं0 588/2/6/2 डाले गये उपरोक्त सभी नम्बरान का राजस्व नक्शें में कोई तरमीम प्रतिवादी सं0 10 लगा0 13 ने नगरपालिका से भू0 रूपा0 करवाकर सिवाय चंक दर्ज करा ली कथित नम्बरान वर्तमान में खं0नं0 588, 588/2, 588/3, 588/6, 588/7 किता 5 कुल रकबा 2 बीघा 12 विस्वा राजस्व रिकोर्ड में नया खाता नं0 1 में सिवाय चंक बिला लगानी दर्ज है में शामिल है जिनका भी कोई तरमीम राजस्व नक्शें में नहीं है। राजस्व नक्शें में भूमि एकीकरण के समय के खं0नं0 588 रकबा 22 बीघा 8 विस्वा का नक्शा कायम है उसके बाद खं0नं0 588/1 रकबा 16 बीघा 10 विस्वा, खं0नं 588/2 रकबा 5 बीघा 18 विस्वा की खातेदारी अंकित की गयी उनकी भी तरमीम नहीं हुयी ओर उसके बाद जो आराजीयात का बेचान होकर खं0नं0 588/2 के विभिन्न टुकड़ें होकर बट्टा नम्बर अलहदा अलहदा डाले गये कि तरमीम राजस्व नक्शें में नहीं हो रखी है प्रतिवादी सं0 1 लगा0 14 बिना विधिक नक्शें में तरमीम हुये व पट्टों के अनुसार नक्शे में तरमीम कराये व बिला भू0 रूपा0 कराये बिना खं0नं0 588 रकबा 22 बीघा 8 विस्वा के कायम नक्शें में मनमानी जगह कब्जा कर निर्माण करने पर उतारू है। प्रतिवादीगण जबरन मनचाहा भाग पर कब्जा करने व वादीगण को बेदखल करने एवं मौका स्थिति परिवर्तन करने निर्माण करने की खुले आम धमकी दी वादीगण ने तहसीलदार जी तह0 फुलेरा को उक्त बट्टा नम्बरों की राजस्व नक्शें मे तरमीम कराने को कहा तो कोई सुनवाई नहीं की ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराया जाना आवश्यक है अतः यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण ऐनकेन प्रकारेन वादीगण को उनके कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजीयात से बेदखल करने कब्जा करने व निर्माण कर मौका स्थिति परिवर्तन करने कराने पर उतारू है अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया गया तो वादीया की सख्त हकतलफी होगी अपूर्तिय क्षति होगी ओर व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढ़ेगी। आदेश 7 नियम 11 में केवल वादी के वाद का अवलोकन किया जावेगा। प्रतिवादी के प्रतिवाद को नहीं देखा जावेगा। आर्डर 7 रूल 11 में केवल न्यायालय व वादी के मध्य का है प्रतिवादी को आर्डर 7 रूल 11 का प्रा0पत्र पेश करने का कतई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण सरसरी तौर पर ही काबिलें खारिज है। तहसीलदार जी तह0 फुलेरा ने सड़क का तरमीम करने के आदेश पर गिरदावर हल्का ने तरमीम कर दी थी किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा राजनैतिक दबाव से उक्त तरमीम विवादित बताकर आपति करने पर तहसीलदार की रिपोर्ट पर वि0प्रा0प0सं0 86/18 दर्ज किया जाकर इसी न्यायालय में वास्तें सुनवाई पेन्डिग चल रहा है उसमें तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 16.05.18 में यह स्पष्ट किया है कि खं0नं0 588/1 की तरमीम की गई है वह सही है किन्तु खं0नं 588 के अन्य बट्टा नम्बरों की तरमीम नहीं की गई है जो की जानी चाहिए थी। अतः उक्त प्रकरण श्रीमान् एस0डी0ओ0 सांभर के यहा पेन्डिग है इससे स्पष्ट है कि खं0नं0 588 के बट्टा नम्बरों की आजतक तरमीम नहीं हुई है अतः प्रतिवादीगण का यह कहना कि आबादी भूमि का वाद यहा नहीं चल

10/6/19
उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

सकता कतई गलत है ओर अब तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य कि जाना आवश्यक है। बिना साक्ष्य लिए दावा आर्डर 7 रूल 11 मे खारि किया जाना कानूनन सही नहीं होगा। अतः प्रा0पत्र प्रतिवादीगण खारि किये जाने योग्य है।

4. वकील वादीगण/अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रा0पत्र के समर्थन में प्रार्थन पत्र फोटो कॉपी एकीकरण पृष्ट सं0 36, 37, 53 वाकै जोबनेर, प्रमाणि नकल नक्शा ट्रेस खं0नं0 588, प्रमाणित नकल जमाबन्दी खाता सं0 9 खं0नं0 588/1, खाता सं0 237 खं0नं0 588/9, खाता सं0 173 खात सं0 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खाता सं0 30 खं0नं0 588/5, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खाता सं0 237 खं0नं0 588/9, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खाता सं0 1, प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2042–45 खं0नं0 588/1, प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2042–45 खं0नं0 588/2, प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2045–48 खं0नं0 588/2, प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2049–52 खं0नं0 588/1, प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2049–52 खं0नं0 588/2, प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2053–56 खं0नं0 588/1, प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2052–56 खं0नं0 588/2/1, 588/2/2, प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2057–60 खं0नं0 588/1, प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2057–60 खं0नं0 588/2/1, 588/2/2, प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2061–64 खं0नं0 588/2/1/2, 588/2/3, प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2061–64 खं0नं0 588/1, नकल नामान्तकरण सं0 130 की प्रतिया पेश की है तथा प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण ने अपने प्रा0पत्र 7 नियम 11 जा0दी0 के समर्थन में पट्टा क्रंमाक 97 भूखण्डधारी का नाम राजेन्द्र कुमार पारीक, पट्टा क्रंमाक 87 भूखण्डधारी का नाम भागचन्द जैन, पट्टा क्रंमाक 98 भूखण्डधारी का नाम श्रीमती सुमित्रा जैन, पट्टा क्रंमाक 90 भूखण्डधारी का नाम सोहनलाल जैन, बिजली का बिल, तरमीम न क्शा दिनांक 21.05.19, फोटो कॉपी बेचान पत्र दिनांक 22.03.96, फोटो प्रति वालादेवी द्वारा बेचान पत्र दिनांक 22.03.96, नगरपालिका जोनबेर पट्टा भागचन्द जैन दिनांक 19.03.02, नगरपालिका पट्टा कुंजबिहारी शर्मा दिनांक 20.03.02, बेचान पत्र कुंजबिहारी शर्मा दिनांक 06.11.08, भूमि कनवर्जन रसीद नगरपालिका जोबनेर दिनांक 26.02.02, पट्टा राजेन्द्र पारीक नगरपालिका जोबनेर दिनांक 29.06.07, बेचान पत्र हीरालाल जाट दिनांक 27.08.14, नगरपालिका पट्टा सुमित्रा जैन दिनांक 29.06.02, दुकानों की फोटो की प्रतिया पेश की है।

5. वकील प्रतिवादी/प्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2012(2) राज0 पेज सं0 1096 की नजीरें पेश की है तथा वादीगण/अप्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टांक 2012(2) डी0एन0जे0 (राज0) पेज सं0 806, 2011(2) डी0एन0जे0 (राज0) पेज सं0 730, 2013(4) डी0एन0जे0 (राज0) पेज सं0 1775, 2013(3) डी0एन0जे0 (राज0) पेज सं0 1219 की नजीरें पेश की है।

6. बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 वकुलाय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी सं0 10 लगा0 13 की आबादी भूमि कालवाड़ रोड़ ढाणी नागान में स्थित है। श्रीमती सुमित्रा जैन पत्नि महेन्द्र जैन ने 1512.50 वर्गगज भूखण्ड है जो कि पेराफेरी क्षेत्र जोबनेर में स्थित है का पट्टा परिवादीया द्वारा बनाकर दिनांक 29.06.02 को सब रजिस्टार सांभर के यहा पंजीयन करवा लिया है। सुमित्रा का उक्त भूखण्ड पूर्व पश्चिम 165 फीट तथा उत्तर दक्षिण 82.6 फुट है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1512.50 वर्गगज है। जिसके पूर्व में भागचन्द पुत्र फूलचन्द (प्रतिवादी सं0 10) का आबादी भूखण्ड है तथा पश्चिम में प्रतिवादी सं0 11 सोहनलाल पुत्र फूलचन्द का भूखण्ड है जो कि उत्तर में कालवाड़ जयपुर रोड़ पर है। दक्षिण में नागाजी की कृषि भूमि है। प्रतिवादी सोहनलाल जैन का भूखण्ड भी 1512.50 वर्गगज है जो कालवाड़ जयपुर रोड़ पेराफेरी नगरपालिका क्षेत्र जोबनेर में स्थित है। जो आबादी का भूखण्ड है। जो नगरपालिका जोबनेर द्वारा पट्टा जारी कर दिनांक 20.03.02 को सब रजिस्टार सांभर के यहा पंजीयन करवाया है। उक्त भूखण्ड की नाप पूर्व पश्चिम 165 है तथा उत्तर दक्षिण 82.6 फुट

Scanned by CamScanner

है। कुल क्षेत्रफल 1512.50 वर्गगज है। उक्त भूखण्ड के पूर्व में प्रतिवादी सुमित्रा का आबादी भूखण्ड है। पश्चिम में रास्ता है। उत्तर में जयपुर कालवाड़ रोड़ है तथा दक्षिण में नागाजी की कृषि भूमि है आबादी का भूखण्ड है जिसके चारों ओर पुख्ता डंडा बनाया हुआ है। इसी अनुसार प्रतिवादी राजेन्द्र कुमार पारीक, भागचन्द जैन की आबादी भूखण्ड भी जयपुर कालवाड़ रोड़ पर स्थित है। जो नगरपालिका जोबनेर पेराफेरी क्षेत्र में आते है। इन्होनें भी अपने भूखण्ड के चारों ओर पुख्ता डंडा बना रखा है नगरपालिका जोबनेर द्वारा आबादी का पट्टा जारी करके उप पंजीयक सांभर के पंजीयन करवाया हुआ है। उक्त प्रतिवादीगण के आबादी भूखण्ड है जो पिछलें 15 साल से आबादी के रूप में इनका उपयोग उपभोग किया जा रहा है। मान्य न्यायालय को आबादी भूमि के सम्बन्ध में सुनवायी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त वाद मान्य न्यायालय में चलने योग्य नहीं है इसलिए वाद खारिज किये जाने योग्य है तथा अधिवक्ता प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण ने दस्तावेजात पेश किये है जिसमें नगरपालिका मण्डल जोबनेर द्वारा पट्टें वितरित किये हुए है तथा भूखण्ड के फोटो की प्रतिया पेश की है। साथ ही प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा तर्क दिया गया कि उक्त भूमि की तरमीम तहसीलदार फुलेरा द्वारा दिनांक 21.05.19 को कर दी गई है। जिसकी प्रति पेश की गयी है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का पट्टें के रूप में उक्त भूमि पर टाइटल है। जिस पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का कानूनी अधिकार उक्त न्यायालय को नहीं होने के कारण यह बार्ड बाई ला है। साथ ही उक्त भूमि की 90 बी होकर नगरपालिका को समर्पित कर पट्टा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को जारी हुआ है तथा पट्टें के साथ संलग्न नक्शें में भूमि की सीमाएं निर्धारित की गई है। उक्त भूमि की 90 बी द्वारा किस्म परिवर्तित हो चुकी है जिस पर स्थाई निषेधाज्ञा बार्ड बाई ला होने के कारण क्षेत्राधिकार में नहीं है।

7. अधिवक्ता वादीगण/अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद पेश किया है कि आराजी खं0नं0 588 रकबा 22 बीघा 8 विस्वा में टुकड़ें होने के बाद राजस्व रिकोर्ड में आराजी खं0नं0 2920/1/3, 2922/1, 2922/4, 2922/5 किता 4 कुल रकबा 22 बीघा 8 विस्वा ग्राम जोबनेर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 का भूमि एकीकरण विभाग द्वारा खं0नं0 588 रकबा 22 बीघा 8 विस्वा डाला गया उक्त नं0 के दो टुकड़े होकर खातेदारी वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट नियमानुसार राजस्व रिकोर्ड में अन्य खसरा नम्बरान के साथ अंकित की गयी आराजी खं0नं0 588/1 रकबा 16 बीघा 10 विस्वा काना पुत्र श्योजी हि0 1/2, पांच्या, जयनारायण पुत्र रूपा हिस्सा 1/2, खं0नं0 588/2 रकबा 5 बीघा 18 विस्वा मु0 बालादेवी धर्मपत्नि देवीलाल कुमावत सा0देह0। वरवक्ता एकीकरण खं0नं0 588 का रकबा 22 बीघा 8 विस्वा था इसी अनुसार सम्पूर्ण रकबें का राजस्व रेकार्ड में नक्शा बना हुआ था उक्त खं0नं0 588 का बंटवारा होकर खं0नं0 588/1, 588/2 डाले गये उस रकबे अनुसार नक्शें में तरमीम नहीं की गयी ओर आज भी राजस्व रिकोर्ड नक्शा लठ्ठा में खं0नं0 588 रकबा 22 बीघा 8 विस्वा अनुसार ही कायम है। उपरोक्त बंटवारे का आजतक राजस्व नक्शें में तरमीम नहीं किया गया उपरोक्तानुसार संवत् 2049–2052 तक खातेदारी चलती रही। इसी दौरान खं0नं0 588 में से जोबनेर से कालवाड़ रोड़ निकाली गयी उक्त रोड़ में कितनी जमीन गयी, किस हिस्सें में गयी उसका भी कोई कोई रिकोर्ड में इन्द्राज नहीं है। खातेदार बीलादेवी द्वारा खं0नं0 588/2 रकबा 5 बीघा 18 विस्वा में से प्रतिवादी सं0 10 लगा0 12 को आराजीयात का बेचान विभिन्न रकबें का किया गया जिसका नामान्तकरण सं0 130 दिनांक 23.03.96 को भरा गया जो दिनांक 25.03.96 को पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया जिसके विक्रय की गयी आराजी के खं0नं0 588/2/1, 588/2/2, 588/2/3, 588/2/44, 588/2/5 डाले गये एवं प्रतिवादी सं0 13 राजेन्द्र को आराजी का बेचान किया गया जिसका नामान्तकरण सं0 131 दिनांक 11.04.96 को भरा जाकर खं0नं0 588/2/6/2 डाले गये उपरोक्त सभी नम्बरान का राजस्व नक्शें में

उप खण्ड अधिकारी
कोटपूतली

कोई तरमीम प्रतिवादी सं0 10 लगा0 13 ने नगरपालिका से भू0 रूपा0 करवाकर सिवाय चंक दर्ज करा ली कथित नम्बरान वर्तमान में खं0नं0 588, 588/2, 588/3, 588/6, 588/7 किता 5 कुल रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा राजस्व रिकोर्ड में नया खाता नं0 1 में सिवाय चंक बिला लगान दर्ज है में शामिल है जिनका भी कोई तरमीम राजस्व नक्शें में नहीं है राजस्व नक्शें में भूमि एकीकरण के समय के खं0नं0 588 रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा का नक्शा कायम है उसके बाद खं0नं0 588/1 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा, खं0नं 588/2 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी अंकित की गयी उनकी भी तरमीम नहीं हुयी ओर उसके बाद जो आराजीयात का बेचान होकर खं0नं0 588/2 के विभिन्न टुकड़ें होकर बट्टा नम्बर अलहदा अलहदा डाले गये कि तरमीम राजस्व नक्शें में नहीं हो रखी है प्रतिवादी सं0 1 लगा0 14 बिना विधिक नक्शें में तरमीम हुये व पट्टों के अनुसार नक्शे में तरमीम कराये व बिला भू0 रूपा0 कराये बिना खं0नं0 588 रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा के कायम नक्शें में मनमानी जगह कब्जा कर निर्माण करने पर उतारू है। प्रतिवादीगण जबरन मनचाहा भाग पर कब्जा करने व वादीगण को बेदखल करने एवं मौका स्थिति परिवर्तन करने निर्माण करने की खुले आम धमकी दी वादीगण ने तहसीलदार जी तह0 फुलेरा को उक्त बट्टा नम्बरों की राजस्व नक्शें मे तरमीम कराने को कहा तो कोई सुनवाई नहीं की ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराया जाना आवश्यक है आदेश 7 नियम 11 में केवल वादी के वाद का अवलोकन किया जावेगा। प्रतिवादी के प्रतिवाद को नहीं देखा जावेगा। आर्डर 7 रूल 11 में केवल न्यायालय व वादी के मध्य का है प्रतिवादी को आर्डर 7 रूल 11 का प्रा0पत्र पेश करने का कतई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण सरसरी तौर पर ही काबिलें खारिज है। प्रतिवादीगण का यह कहना कि आवादी भूमि का वाद यहा नहीं चल सकता कतई गलत है ओर अव तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य किया जाना आवश्यक है। बिना साक्ष्य लिए दावा आर्डर 7 रूल 11 मे खारिज किया जाना कानूनन सही नहीं होगा। अतः प्रा0पत्र प्रतिवादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस उभय पक्ष पर अवलोकन/मनन किया गया तथा न्यायिक दृष्टांतो का सहसम्मान अवलोकन किया गया। उक्त विवादित भूमि आवादी भूमि है जिसकी 90 बी होकर नगरपालिका द्वारा किस्म आवादी कर पट्टें जारी कर पट्टों का पंजीयन हो चुका है तथा तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि की तरमीम की जा चुकी है। जिसका वाद मान्य न्यायालय को सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं होने कारण "वार्ड वाई ला" है अतः वादीगण/अप्रार्थीगण का वाद आर्डर 7 रूल 11 जा0दी के तहत खारिज किया जाता है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादी का प्रा0पत्र आर्डर 7 नियम 11 जा0दी0 का स्वीकार किया जाकर वादीगण/अप्रार्थीगण का वाद आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 के तहत खारिज किया जाता है।

निर्णय मजमा–ए–आम में दिनांक 19/6/19 को सुनाया गया।

19/06/19

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner